(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 228 **नई दिल्ली** **27 नवबंर, 2009**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा इन्टरनेशनल सीपोर्ट्स (हल्दिया) प्राईवेट लिमिटेड के प्रचलित दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/37/2005 - आईएसएचपीएल

आदेश

(अक्टूबर, 2009 के 23 वें दिन पारित)

इंटरनेशनल सीपोर्ट्स (हल्दिया) प्राईवेट लिमिटेड (आईएसएचपीएल) के प्रचलित दरमान को 31 मार्च 2009 वैधतावाली अवधि तक निर्धारित किया गया था। दरमान की वैधता को दिनांक 28 जुलाई 2009 के ओदश के द्वारा विस्तारित किया गया था जो 22 अगस्त 2009 के अधिसूचना संख्या 151 के द्वारा भारत का राजपत्र मे अधिसूचित किया गया है।

2. आईएसएचपीएल के द्वारा दाखिल प्रस्ताव को प्रशुल्क मामला के रूप मे पंजीकृत किया गया है और यथापद्धित निर्धारित परामर्शत्मक क्रिया-विधि को शुरू कर दिया गया है।

3. अंतिम निर्णय देने के पहले मामला को परिपक्व होने मे अभी कुछ और समय लगेगा। इसलिए आईएसएचपीएल के प्रचलित दरमान की वैधता को 31 अक्टूबर 2009 के परे विस्तारित करता है।

4. इसलिए, यह प्राधिकरण आईएसएचपीएल के प्रचलित दरमान की वैधता को 31 मार्च 2010 तक विस्तारित करता है या आईएसएचपीएल के प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव पर पारित ओदश की कार्यान्वयन के प्रभावी तिथि तक, इसमें से जो भी पहले हों।

5. निष्पादन के समीक्षा के दौरान, यदि 1 अप्रैल 2009 के बादवाली अवधि मे स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किये जानेवाले प्रशुल्क मे पूर्णरूपेण समायोजित किया जायेगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा